हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

संख्याःएस.जे.ई.–ए.बी (1)–15/2012 तारीख शिमला–2, 31 जुलाई, 2017

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, समसंख्यक अधिसूचना तारीख 26–06–2015 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, विशष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी.जी.टी.) संगीत गायन (दृष्टि बाधित) वर्ग–II (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। **1.** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, विशष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी.जी.टी.) संगीत गायन (दृष्टि बाधित) वर्ग–II (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2017 हैं।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

उपाबन्ध–"क" का संशोधन । **2.** हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी.जी.टी.) संगीत गायन (दृष्टि बाधित) वर्ग–II (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है) के उपाबन्ध–"क" में,–

(क) स्तम्भ संख्या 6 (2) के सामने विद्यमान उपबन्धों का लोप किया जाएगा;

(ख) स्तम्भ संख्या 7 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

''(क) अनिवार्य अर्हताः—

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर संगीत गायन के एक विषय सहित संगीत गायन में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि।

या

स्नातक स्तर पर संगीत गायन के एक विषय सहित निम्नलिखित में से किसी एक विषय के साथ उच्चतर शिक्षाः—

(क) गन्धर्व महाविद्यालय मण्डल, मुम्बई से संगीत विशारद् की परीक्षा।

(ख) भारतीय कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़, मध्यप्रदेश से संगीतविद् की परीक्षा।

(ग) प्रयाग समिति (संगीत अकादमी) इलाहाबाद से संगीत प्रभाकर की परीक्षा।

(घ) भातखण्डे संगीत विद्यापीठ लखनऊ (पूर्वतर में मोरिस कॉलेज ऑफ हिन्दुस्तानी म्यूजिक, लखनऊ) से संगीत विशारद् की परीक्षा।

(ङ) मध्यसंगीत महाविद्यालय लश्कर, ग्वालियर की अंतिम परीक्षा।

(च) शंकर गन्धर्व विद्यालय, ग्वालियर की अंतिम परीक्षा।

(छ) निदेशक, शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश द्वारा प्रदान किया गया संगीत रत्न का डिप्लोमा।

या

इसके बजाए सम्बन्धित अभिकरणों / संस्थान द्वारा प्रदान की गई नई उपाधि /प्रदान किया गया नया डिप्लोमा।

(ii) मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से सामान्य/विशेष शिक्षा स्नातक के साथ विशेष शिक्षा में शिक्षा स्नातक (दृष्टि बाधित) या पी.जी.डी..एस.ई.(VI) (विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिप्लोमा)।

(iii) अभ्यर्थी भारतीय पुनर्वास परिषद् (आर.सी.आई.) के साथ अवश्य रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए।'';

(ग) स्तम्भ संख्या 9 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदश दे।

(ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात् पुनर्नियोजन पर और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी।'';

(घ) स्तम्भ संख्या 15 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

''सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या

शारीरिक परीक्षा के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।'';

(ङ) स्तम्भ संख्या 15–क (IV) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

''**चयन प्रक्रिया:**
सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(च) स्तम्भ संख्या 15–क (VII),(ग) के सामने विद्यमान उपबन्धा के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

''संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला

पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।''; और

उपाबन्ध–''ख'' का संशोधन।

उक्त नियमों के उपाबन्ध–''ख'' में स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः–

''संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।''।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

(Authoritative English Text of this Department Notification No. SJE-A-B(1)-15 /2012, dated: 31st July, 2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

Government of Himachal Pradesh
Department of Social Justice and Empowerment

No. SJE-A-B(1)-15/2012 dated: Shimla-02 the 31st July, 2017

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Department of Social Justice & Empowerment, Special Post Graduate Teacher (PGT), Music Vocal (Visually Impaired) Class-II (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2015, notified vide Notification of even No. dated: 26-06-2015, namely:-

Short title and commencement: 1 (1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Social Justice and Empowerment, Special Post Graduate Teacher (PGT), Music Vocal (Visually Impaired) Class-II (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion (1st-Amendment)Rules, 2017.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

Amendment of Annexure - "A" 2. In Annexure- "A" to the Himachal Pradesh, Department of Social Justice and Empowerment, Special Post Graduate Teacher (PGT), Music Vocal (Visually impaired) Class-II (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2015 (here-in-after referred to as the said rules),-

(a) the existing provisions against Col. No. 6 (2), shall be omitted;

(b) for the existing provisions against Col. No. 7, the following shall be substituted, namely :-

"(a) Essential Qualification:-

(i) A second class Master Degree in Music (Vocal) from any recognized University with Music (Vocal) as one of the subject at the Graduation level.

OR

Higher Education with Music (Vocal) as one of the subject at the Graduation level with any one of the following:-

a) Sangeet Visharad Examination of Gandharva Mahavidyalaya Mandal, Mumbai.

b) Sangeet-vid Examination of India Kala Sangeet Vishwa Vidyalaya Khairagarh, M.P.

c) Sangeet Prabhakar Examination of Prayag Samiti (Academy of Music), Allahabad.

d) Sangeet Visharad Examination of Bhatkhande Sangeet Vidyapeeth, Lucknow (Previously Morris College of Hindustani Music, Lucknow).

e) Final examination of Madhya Sangeet Mahavidyalaya, Lashkar, Gwalior.

f) Final examination of Shankar Gandharva Vidyalaya, Gwalior.

g) Sangeet Ratan Diploma awarded by the Director, Department of Education, M.P.

OR

The new degree / diploma awarded by the concerned agencies/ institution in lieu thereof.

(ii) B.Ed. in Special Education (Visually Impaired) or PGPDSE (VI) (Post Graduate Professional Diploma in Special Education) with General/Special B.Ed. from a recognized Institution/ University.

(iii) The candidate must be registered with Rehabilitation Council of India (RCI).";

(c) for the existing provision against Col. No. 9 the following shall be substituted, namely:-

"(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in the case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption";

(d) for the existing provisions against Col No. 15, the following shall be substituted, namely:-

"Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/personality test, if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type) / written test or practical test or physical test, the

standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/other recruiting agency/authority as the case may be";

(e) **for the existing provisions against Col No. 15-A(IV), the following shall be substituted, namely:-**

"SELECTION PROCESS:

'Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of interview / personality test or if considered necessary or expedient on the basis of interview/ personality test preceded by a screening test (objective type)/ written test or practical test or physical test, the standard/ syllabus, etc. of which, will be determined by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Public Service Commission.";

(f) **for the existing provisions against Col No. 15-A (VII) (c), the following shall be substituted, namely:-**

"Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 10 days Medical Leave and 5 days special leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/she shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed Casual leave, Medical Leave & Special Leave can be accumulated up to the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year and in Annexure 'B' of the said rules.";

Amendment of Annexure - "B"

for the existing provisions against Col No.4, the following shall be substituted, namely:-

"Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 10 days Medical Leave and 5 days special leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/she shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed Casual leave, Medical Leave & Special Leave can be accumulated up to the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year:"

By Order

Principal Secretary (SJ&E) to the
Govt. of Himachal Pradesh.